संख्या- 07/2017/805/26-2-2017-100(2)/2007

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 जून, 2017

विषय- वृद्धावस्था पेंशन/पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन)/दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान (दिव्यांगजन पेंशन) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के डाटा की आधार नम्बर से सीडिंग तथा सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 564/26-2-2017-1 पेंशन लक्ष्य-2013 दिनांक 05 मई, 2017 तथा तत्क्रम में निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 के पत्रांक 147-50/स0क0/एन0एस0ए0पी0/आ0सीडिंग/सत्यापन/2017-18 दिनांक 12.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित उपर्युक्त पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन कराकर मृतक/अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद करते हुए पात्र लाभार्थियों का डाटा उनके आधार से लिंकेज कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं तथा यह अपेक्षा की गयी है कि तद्नुसार अभियान चलाकर समय-समय पर उक्त कार्य की प्रगति का सम्यक अनुश्रवण करते हुए उक्त समस्त कार्यवाही माह जून, 2017 के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्यतः पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये।

उक्त निर्देशों के क्रम में आप द्वारा अभियान चलाकर पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन तथा सत्यापनोंपरान्त मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद करते हुए पात्र लाभार्थियों के डाटा को आधार से लिंक किये जाने की कार्यवाही इस समय तक यथा सम्भव पूर्ण कर ली गयी होगी तथा यदि कोई कार्य शेष होगा तो उसे माह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जून, 2017 के प्रथम सप्ताह तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार सत्यापन आदि की कार्यवाही पूर्ण कर लिए जाने के उपरान्त पात्र लाभार्थियों को माह जून, 2017 में वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमासिक किश्त का भुगतान भी किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत विशेष ध्यान देकर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 05 मई, 2017 के निर्देशों के क्रम में अपने स्तर से उक्त कार्य की गहन समीक्षा करते हुए लाभार्थियों का सत्यापन कराकर मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन निर्धारित प्रक्रियानुसार बंद कराते हुए पात्र लाभार्थियों के डाटा को आधार से लिंकीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में 07 जून, 2017 तक पूर्ण कराने का कष्ट करें ताकि तद्नुसार माह जून, 2017 में सम्बन्धित लाभार्थियों को प्रथम त्रैमासिक किश्त का भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके।

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या- 07/2017/805(1)/26-2-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण/महिला कल्याण/विकलांगजन सशक्तीकरण कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 को अपने मण्डल के अधीन जनपदों के उक्त कार्य की सघन समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।